<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>दीवानी वाद संख्या 239/2021</u>

भागचन्द व अन्य बनाम अक्षयसिंह व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) व्य.प्र.सं.

उपस्थित

1– श्री जी.के.अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से।

2– श्री मनीष शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 की ओर से।

3– श्री अजय त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 6 की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक–09.04.2026</u>**

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 1(3) व्य.प्र.सं. दिनांकित 24.03.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये हैं कि वादी भागचन्द द्वारा न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध प्रकरण संख्या 69/2001 भागचन्द जैन बनाम अक्षय सिंह, अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नारायण मल्होत्रा की वसीयत दिनांक 07.06.1997 के प्रोबेट के लिए प्रस्तुत किया, जो दिनांक 09.01.2006 को वसीयत अनुचित प्रभाव में निष्पादित किये जाने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया। हस्तगत वाद में उक्त पत्रावली को तलब किया जाना उचित है। वादी साक्षी तरूण जैन से जब इस बाबत पूछा गया कि उसके पिता के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवायी थी अथवा नहीं, जिसका उसने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि वसीयत के प्रोबेट बाबत उच्च न्यायालय में कार्यवाही लम्बित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर से दिनांक 18.03.2026 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर पूर्व के निर्णय दिनांक 09.11.2006, बयान भागचन्द दिनांक 02.04.2004, वसीयतनामा दिनांक 07.06.1997, आर्य समाज जोधपुर का प्रमाण–पत्र दिनांक 10.08.1980, आदेश दिनांक 20.09.1981 तथा जन्म प्रमाण–पत्र दिनांक 25.04.1984 प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उक्त दस्तावेजात पूर्व में प्रतिवादी के पास नहीं थे। प्रतिवादी की ओर से एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 व्य.प्र.सं. बाबत पत्रावली मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की साक्ष्य अभी आरम्भ नहीं हुयी है। पेश किये गये दस्तावेज वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान करें।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये गये हैं कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आज्ञापक विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रार्थना–पत्र केवलमात्र वाद में देरी करने के आशय से पेश किया गया है। वाद के निस्तारण में प्रस्तुत दस्तावेज कोई सहायता नहीं करते हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व संबंधित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत वाद के पक्षकारान के बीच पूर्व में इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का विचाराधीन रहा है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.11.2006, गवाह भागचन्द जैन के बयान, वसीयतनामा दिनांक 07.06.1997, आर्य समाज, जोधपुर का प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र पेश किये गये हैं। उक्त दस्तावेजात की पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका से प्रतिवादीगण द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर पेश किये गये हैं, जिनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने से वादीगण के हितों पर किसी भी प्रकार से कुठाराघात नहीं होगा, क्योंकि वादीगण को प्रतिवादी साक्ष्य से जिरह करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात हस्तगत वाद के न्यायोचित न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक व सुसंगत होने से कॉस्ट पर पेश किये गये दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जाने योग्य है।

5. परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 1(3) व्य.प्र.सं. दिनांकित 24.03.2026 एक सौ रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

6. आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर